HRA AN UNIVERSITY OF ANDREW Che Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 4, 2013/पौष 14, 1934

No. 13]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 4, 2013/PAUSA 14, 1934

गृह मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2012

सा.का.नि. 14(अ).—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की तारीख 14 मार्च, 2012 की अधिसूचना जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. 149(अ) द्वारा तारीख 15 मार्च, 2012 को प्रकाशित की गई थी, के प्रारम्भिक पैरा में "भर्ती नियम, 2002" और अंकों के पश्चात् "जहां तक उनका संबंध निरीक्षक और उप-निरीक्षक के पद से है" अन्त:स्थापित करें।

[फा. सं. 17/25/2012-कार्मिक/सीसुबल] दिनेश माहुर, निदेशक (कार्मिक)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 28th December, 2012

GS.R. 14(E).—In the notification of the Government of India, Ministry of Home Affairs, dated the 14th March, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated the 15th March, 2012 vide G.S.R. 149(E), in the opening paragraph after the words and figures "Recruitment Rules, 2002," insert "insofar as they relate to the post of Inspector and Sub-Inspector".

[F. No. 17/25/2012-Pers/BSF]

DINESH MAHUR, Director (Personnel)